# बिहार लोक सेवा आयोग

## 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना — 800001

**विज्ञापन सं०–42/2025**, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल–7279 (सात हजार दो सौ उनासी) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bihar.gov.in** पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:–

(क) वर्ग 1–5 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल–5534 पद

| | | कोटि | | | | | | | | | | | | | | दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद | | | | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विषय | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग (महिला) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) | पिछड़े वर्ग की महिला | कुल पद | दृष्टि बाधित (VI) | मूक बधिर (DD) | अस्थि दिव्यांग (OH) | मनोविकार/बहुदिव्यांग (MD) | |
| 1. | प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात(CP) | 128 | 52 | 44 | 10 | 01 | 00 | 58 | 19 | 31 | 06 | 22 | 01 | 01 | **285** | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2. | पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness) | 228 | 100 | 86 | 32 | 08 | 01 | 105 | 43 | 65 | 21 | 53 | 17 | 13 | **558** | 09 | 02 | 02 | 02 | 06 |
| 3. | श्रवण बाधित (Hearing Impairment) | 388 | 187 | 159 | 65 | 26 | 00 | 174 | 77 | 118 | 48 | 94 | 37 | 29 | **988** | 30 | 08 | 00 | 00 | 18 |
| 4. | अल्प दृष्टिबाधित (Low Vision) | 365 | 175 | 148 | 62 | 25 | 00 | 168 | 76 | 109 | 43 | 87 | 36 | 29 | **931** | 30 | 07 | 00 | 00 | 14 |
| 5. | वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता (Speech & Language) | 541 | 263 | 216 | 97 | 31 | 01 | 244 | 113 | 165 | 72 | 133 | 60 | 40 | **1370** | 34 | 20 | 01 | 01 | 27 |
| 6. | बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability) | 224 | 101 | 83 | 30 | 14 | 00 | 100 | 38 | 59 | 24 | 48 | 18 | 16 | **544** | 16 | 02 | 01 | 00 | 05 |
| 7. | स्वलीनता (Autism Spectrum Disorder) | 57 | 15 | 09 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | **92** | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8. | विशेष अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disability) | 202 | 89 | 74 | 29 | 07 | 00 | 91 | 34 | 56 | 20 | 39 | 11 | 09 | **478** | 10 | 01 | 01 | 00 | 05 |
| 9. | बहु दिव्यांगता (Multiple Disability) | 131 | 54 | 43 | 12 | 00 | 00 | 59 | 20 | 33 | 06 | 22 | 00 | 00 | **288** | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | कुल | **2264** | **1036** | **862** | **337** | **112** | **02** | **1021** | **420** | **639** | **240** | **499** | **180** | **137** | **5534** | **138** | **40** | **05** | **03** | **75** |

**श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग**:– विशेष विद्यालय अध्यापक, मूल कोटि, वर्ग–1 से 5

**वेतनमान**:– 25,000/–

(ख) वर्ग 6–8 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल–1745 पद

| | | कोटि | | | | | | | | | | | | | | दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विषय | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग (महिला) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) | पिछड़े वर्ग की महिला (RF) | कुल पद | दृष्टि बाधित (VI) | मूक बधिर (DD) | अस्थि दिव्यांग (OH) | मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD) | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी |
| 1. | प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (CP) | 52 | 14 | 04 | 00 | 00 | 00 | 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2. | पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness) | 101 | 35 | 27 | 10 | 01 | 00 | 46 | 11 | 20 | 08 | 13 | 05 | 03 | 211 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| 3. | श्रवण बाधित (Hearing Impairment) | 145 | 62 | 48 | 13 | 00 | 00 | 63 | 18 | 37 | 10 | 23 | 01 | 01 | 317 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4. | अल्प दृष्टिबाधित (Low Vision) | 151 | 63 | 55 | 14 | 02 | 00 | 67 | 19 | 39 | 09 | 29 | 05 | 04 | 347 | 09 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 5. | वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता (Speech & Language) | 148 | 66 | 47 | 11 | 02 | 00 | 72 | 28 | 39 | 08 | 30 | 03 | 02 | 340 | 08 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 6. | बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability) | 96 | 34 | 28 | 07 | 01 | 00 | 42 | 10 | 19 | 06 | 14 | 01 | 01 | 201 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7. | स्वलीनता (Autism Spectrum Disorder) | 24 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8. | विशेष अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disability) | 65 | 23 | 14 | 01 | 00 | 00 | 34 | 03 | 04 | 00 | 03 | 00 | 00 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9. | बहु दिव्यांगता (Multiple Disability) | 60 | 16 | 09 | 00 | 00 | 00 | 26 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | कुल | 842 | 314 | 232 | 56 | 06 | 00 | 382 | 89 | 160 | 41 | 112 | 15 | 11 | 1745 | 32 | 01 | 01 | 01 | 04 |

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्गः– विशेष विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि, वर्ग–6 से 8

वेतनमानः– 28,000/–

नोटः—(i) प्रारम्भिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के पदों की रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) सं०—132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य से उद्भूत **CONMT.PET. (C) No. 591/2022 in W.P. (C) No.** 132/2016 में दिनांक 07.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु कुल स्वीकृत पद 7279 में से 816 पदों हेतु परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 816 पदों का कोटिवार विवरण शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा।

2. विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता विभागीय अधिसूचना संख्या—916, दिनांक—19.05.2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा :—

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI) द्वारा प्रदत्त वैध CRR (Central Rehabilitation Register) नम्बर एवं एतद संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण हो यथा—

(a) वर्ग 1 से 5 के लिए BSSTET Paper-I

(b) वर्ग 6 से 8 के लिए BSSTET Paper-II

विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता विभागीय अधिसूचना संख्या—916, दिनांक— 19.05.2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा, जो सम्प्रति निम्नवत् हैः—

**(A) मूल कोटि संवर्ग (वर्ग 1—5) के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :—**

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)

तथा

भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी॰ईएल०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो।

या

भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी॰ईएल०एड० सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी॰ईएल०एड० के समकक्ष हो, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो।

(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में छः माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

**(B) स्नातक कोटि संवर्ग (वर्ग 6—8) के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :—**

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

एवं

भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो।

या

बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो।

(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

**विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंधः—**

(i)(क) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(iv) विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा। उक्त पृष्ठभूमि में वर्णित कोई प्रावधान भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जायेगा।

(v) किसी सोसाईटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी विशेष विद्यालय अध्यापक पद हेतु मान्य नहीं होगा।

3. आयु सीमाः—

(i) सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु दिनांक—01.08.2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु दिनांक—01.08.2023 को अनारक्षित (पुरूष)— 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला— 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)— 42 वर्ष।

(ii) वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

परन्तुक—

(i) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक—01.08.2023 को आधार मानकर देय होगी।

(ii) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक जो विशेष विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता रखते हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। **बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। **दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

4. **चयन प्रक्रियाः— लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।**

➢ **लिखित परीक्षाः—**

**लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगेः—**

| पत्र | विषय | प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि | कुल अंक | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन | 150<br>भाग—I-30,<br>भाग—II-120 | 02.:30 घंटे | 150 | प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 5) के लिए<br>➢ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा— भाग—I एवं भाग—II<br>➢ भाग—I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।<br>➢ भाग—II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं।<br>➢ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।<br>➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। |

| पत्र | विषय | प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि | कुल अंक | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय | 150 भाग–I-30, भाग–II-40 एवं भाग–III-80 | 02.30 घंटे | 150 | **मध्य विद्यालय (वर्ग 6–8) के लिए**<br>➢ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा– भाग–I, भाग–II एवं भाग–III<br>➢ भाग–I- भाषा (अर्हता) के लिए **अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान।** इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।<br>➢ भाग–II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।<br>➢ भाग–III- मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:– गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी।<br>**नोटः**–वर्ग 6–8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को Section-I में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/ अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।<br>➢ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। |

- भाषा (अर्हता) भाग–I Qualifying होगा।
- सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
- गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।
- **"कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे।"**
- उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

5. मेधा सूचीः–

➢ **विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारणः–**

वर्ग 1 से 5 के लिए

लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग–II) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा–क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

वर्ग 6 से 8 के लिए

लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग–II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग–III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा–क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

**नोटः–औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।**

➢ साक्षात्कारः—

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➢ अधिमानताः—

- विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छूक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 09 श्रेणियों में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता में वर्णित विषय/कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिये गये विकल्प का चयन करेंगे। उक्त विकल्प का चयन प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा।
- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए तथा दिव्यांगता की 09 श्रेणी में से एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही संवर्गों एवं दिव्यांगता की श्रेणी की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विशेष विद्यालय अध्यापक के विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
- मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग/दिव्यांगता की श्रेणी आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गों/दिव्यांगता की श्रेणी में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।

6. अन्य निर्देशः—

(i) कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तारण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2024 के आलोक में अधिकतम 05 (पाँच) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, कि अभ्यर्थी विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

(iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेष विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व–घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोटः—(क) पत्र/विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

**(ख) आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।**

7. आरक्षणः—

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(iii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

(iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः—

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण—पत्र/मूल निवास प्रमाण—पत्र एवं जाति प्रमाण—पत्र मान्य होगा।

**आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या— 2622, दिनांक— 26.02.2019 एवं पत्रांक—12123, दिनांक— 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

**(vi) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :—

| क्र०सं० | आरक्षित कोटि | ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि | कोटि कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (Unreserved) | UR | 01 |
| 2. | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) | SC | 02 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) | ST | 03 |
| 4. | अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class) | EBC | 04 |
| 5. | पिछड़ा वर्ग (Backward Class) | BC | 05 |
| 6. | पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies) | BCL | 06 |
| 7. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS | 07 |

(vii)(क) **बिहार राज्य के मूल निवासी बैंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—962, दिनांक— 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए **श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।** जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

**सभी वांछित प्रमाण–पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि–28.07.2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।**

नोटः–(i) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/ शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(ii) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iv) डी॰ईएल॰एड॰ (विशेष शिक्षा) या डी॰ईएल॰एड॰ (विशेष शिक्षा) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी॰ईएल॰एड॰ के समकक्ष हो, का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(v) बी॰एड॰ (विशेष शिक्षा) या बी॰एड॰ (विशेष शिक्षा) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में बी॰एड॰ के समकक्ष हो, का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(vi) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET, 2023) उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।

(vii) भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा प्रदत्त वैध सी॰आर॰आर॰ नम्बर एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(viii) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।

(ix) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।

(xi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में छूट/रियायत का दावा करने के स्थिति में)।

(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xiii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र।

(xiv) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 एवं पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।

(xvi) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xvii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xviii) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xix) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xx) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा की आवेदन में दावा किया हो।

(xxi) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।

(xxii) लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

(xxiii) लिखित परीक्षा के लिए निर्गत **e-Admit card** की प्रति।

8. <u>प्रमाण पत्रों की जाँचः</u>–

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों एवं अभ्यर्थियों के भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रदत सी0आर0आर0 नम्बर की वैधता की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे।

(ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9. <u>शुल्क</u> :–

अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना हैः–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) सभी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोटः–(a) **Biometric fee** 200/–(दो सौ) रूपये प्रति वर्ग।

वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (**Aadhaar No.**) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें **Biometric fee** के रूप में 200/–(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क प्रति वर्ग का भुगतान करना होगा।

दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (**Aadhaar No.**) अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाईल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाईल नम्बर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाईल पर यदि **OTP** की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी।

(b) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

10. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:</u>— (i)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 02.07.2025 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 28.07.2025 |

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार (शिक्षा विभाग) द्वारा किया जायेगा।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट **www.bpsc.bihar.gov.in** पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

11. <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:</u>—

**A. <u>One Time Registration (OTR)</u>**

(i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट <u>https://bpsconline.bihar.gov.in</u> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।

(ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।

(iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।

(iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।

(v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखे।

(vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।

(vii) एक से अधिक **OTR** पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।

(viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।

(ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं०/ईमेल०आई०डी० एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर Login करेंगे।

नोटः—

(i) **OTR** के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्मतिथि में परिवर्त्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे **Digilocker Account** के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

**B. <u>INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-</u>**

(i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।

(iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

**C. <u>INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-</u>**

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:—

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock ( अपलोड फोटो / हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

**Step 1: व्यक्तिगत जानकारी :** इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 2: पता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 3: अन्य जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप–डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं / थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 6:** फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक: इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150–220 Pixel के बीच और Height 250–320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोट:–

(i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।

(ii) Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।

(iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

**D. <u>INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION</u>**

(i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:– Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित नहीं करेंगे।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर **Webcam** के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

**E. MY ACCOUNT TAB**

**(i)** यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।

**(ii)** यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना चाहता है, तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है।

**(iii)** ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद **Profile** में किया गया कोई भी परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।

**(iv)** ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

**(v)** आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**(vi)** इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को **My Account Tab** से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

**Note:-** यदि आवेदक को **OTR** एवं **Application Form** भरने में कोई शिकायत है, तो **Grievance Tab** में उसका विवरण दे सकते हैं।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः **My Account Tab** पर **Click** करेंगे, तत्पश्चात् **Action** के अन्दर **View Option** पर **Click** करने पर **Application Print** का **Option** दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

14. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

16. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

15/6/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।